

मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय

182
195
2
225

क्रमांक एफ 4-5/2006/दोर३३

भोपाल, दिनांक 15-9-06

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्य प्रदेश ।

3122
28/9/06

विषय-
संदर्भ-

वाहन चालकों को दो जोड़ हैण्डलूम पोलिस्टर वर्दी का प्रदाय ।
इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 4-1/92/दोर३३ दिनांक
16.1.1992 एवं इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 4-5/97/दोर३३
दिनांक 31.12.1997 एवं 8.1.2000

— 0 —

20/9

विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ 4-1/92/दोर३३ दिनांक 16.1.1992
द्वारा समस्त शासकीय वाहन चालकों को दी जाने वाली दो जोड़ वर्दी में एक
वर्दी सूती हैण्डलूम एवं एक वर्दी पोलिस्टर खादी का प्रदाय किए जाने के निर्देश
जारी किए गए थे ।

अब राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभागीय
आदेश क्रमांक एफ 4-5/1997/दोर३३ दिनांक 8.1.1998 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी
कर्मचारियों को भ्रांत समस्त शासकीय वाहन चालकों को भी प्रदाय की जाने
वाली दोनों जोड़ वर्दी हैण्डलूम पोलिस्टर की प्रदाय की जाये ।

इस पर होने वाला व्यय संबंधित विभागीय बजट के अंतर्गत विकल्पनीय
होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

गीता मिश्रा

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

निरंतर.....

29/9/06

52

— 2 —

भोपाल, दिनांक 15-9-06

पू०क्र०स्फ 4-5/2006/दोर३३
प्रतिनिधि-

1. पंजीयक, उच्च न्यायालय, म०प्र०जबलपुर
2. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, म०प्र०इंदौर
3. राज्यपाल के सचिव, म०प्र०भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, म०प्र०भोपाल
5. अवर सचिव, अधीक्षण, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
6. अवर सचिव, स्थापना, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
7. मुख्य लेखा अधिकारी, म०प्र०मंत्रालय, भोपाल
8. अधीक्षक, म०प्र०स्टेट मैरेज, भोपाल

को और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रोपेत ।



उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग

//शेन्डे, 15906//